कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।
वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)
E-mail:-dfo-chatrasouth@gov.in Phone - 8987790213

पत्रांक 1395 दिनांक 01-07-2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

विषयः— 132 KV/DC चतरा से हण्टरगंज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत 29.8774 हे0 एवं चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अन्तर्गत 23.3355 हे0 कुल—53.2129 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः— प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह— कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 1114 दिनांक 07.11.2023 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का ज्ञापांक 2614 दिनांक 14.11.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि विषयगत प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दो (2) बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। पृच्छाओं का निराकरण प्रतिवेदन बिन्दुवार समर्पित की जा रही है :—

क्र0 सं0	पृच्छा	निराकरण प्रतिवेदन
1	The Complete action taken report by state forest official (DFO) including the prosecution proceeding done in the court of law against the violation done	विषयगत परियोजना में भारत सरकार से बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मौजा डाढा में अवैध तरिके से दो (2) ट्रांसमिशन टॉवर का निर्माण वनभूमि में किया गया है। वनभूमि में अवैध तरीके से किये गये टॉवर निर्माण के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की सुसंगत धाराओं के तहत वन वाद दर्ज करते हुए इस कार्यालय के ज्ञापांक 1498 दिनांक 05.07.2023 एवं ज्ञापांक 2196 दिनांक 29.10.2024 द्वारा दोनों वाद का अभियोजन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चतरा के न्यायालय में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी गई है। वर्तमान में यह मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में लंबित है। (अभियोजन प्रतिवेदन संलग्न, अनु0—1)
2	Ducumentary evidance to establish that the violation by way of starting work in forest land was done after the FC application was submitted by user agency.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन में अवैध रूप से किये गये टॉवर निर्माण के संबंध में टिप्पणी अंकित नहीं है (स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न, अनु0—2)

अनु0—यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

01/07/2025 01.07.2025

E.P CN. 24/2023-24 C CN0/300/2022 3110-1

वन विभाग, झारखण्ड

चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

अपराध रिपोर्ट सं0 209 P ता0 30.01.2023।

30.01.2023

प्रक्षेत्र का नाम – चतरा वन प्रक्षेत्र | राजस्व केन्द्र

रेंज

अपराध का स्वरूप

अवैध अतिक्रमण

पता चलने का तारीख और समय – दिनांक 18.12.2022 करीब 02:00 बजे दिन

घटना स्थल – डाढ़हा वन

किसने पता लगाया – श्री अनुज कुमार, वनरक्षी

वन अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता की धारा का निर्देश

यह प्रमण्डल वन कार्यालय द्वारा भरा जाएगा।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम 1989–90) की धारा 33

अभियुक्तों का नाम।

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	पता
1	सुनिल कुमार, संचरण अवर प्रमण्डल, झारखण्ड उर्जा संचरण निमिटेड		चतरा।
2	मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मैनेजर, एसोसिएट पॉवर स्टक्चर्स प्र0 लि0		पहली मंजील, आन्नद विहार, हज हॉउस के पिछे कडरू, राँची, झारखण्ड, पिन–834002

साक्षियों का नाम।

क्र0सं0	नाम
1	श्री अनुज कुमार, वनरक्षी, चतरा वन प्रक्षेत्र
2	श्री रोहित प्रसाद यादव, वनरक्षी, चतरा वन प्रक्षेत्र
3	श्री निशांत कुंमार, वनरक्षी, चतरा वन प्रक्षेत्र
4	श्री गोपाल गंझु, वनरक्षी, चतरा वन प्रक्षेत्र
5	श्री प्रभात कुमार, चतरा वन परिसर पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

द्वारा :– उचित माध्यम

महाशय,

प्रतिवेदन देना है कि श्री अनुज कुमार, वनरक्षी का OR-No-01871 दिनांक 18-12-2022 dt 19-12-2022 को प्राप्त किया। यह अपराध प्रतिवेदन डाड़हा वन में अवैध अतिक्रमण से संबंधित है।

मैने इस अपराध प्रतिवेदन की जाँच दिनांक 21.12.2022 को संबंधित वनरक्षी के साथ घटनास्थल पर जा कर किया। वनरक्षी का कथन सत्य पाया। जाँच के क्रम में घटनास्थल पर नक्शा के सहारे निरीक्षण करने पर पाया कि अभियुक्तों द्वारा डाड़हा वन में वनसीमा के अंदर अवैध रूप से 03 डीसमिल वनभूमि पर 132 KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन के एक टावर का निर्माण किया गया था। इस संबंध में घटनास्थल पर ही अभियुक्तों को पुछताछ हेतु बुलवाया गया परंतु वे लोग जाँच में उपस्थित नही हुए। अभियुक्तों ने यह अतिक्रमण वनसीमा के अंदर अवैध रूप से टावर निर्माण कर किया है।

पुनः मैने घटनास्थल का नक्शा के अनुसार सर्वे कर मिलाया तो पाया कि अभियुक्तों ने यह अवैध अतिक्रमण डाड़हा वन के प्लॉट नं0 ......708...... में किया है। यह प्लॉट बिहार सरकार द्वारा पूर्व में ही अधिसूचित किया जा चुका है जिसकी अधिसूचना सं0 CPF 10171/52-30R dt 2.1.53 ...... है। पुनः मैने घटनास्थल का नक्शा बनाया।

अभियुक्तों ने भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम 1989–90) की धारा 33 के तहत दण्डनीय एवं संज्ञेय अपराध किया है।

अतः इस मुकदमे को उचित न्याय हेतु न्यायलय में भेजने की कृपा की जाय।

<u>क्षति विवरणः–</u>

1. वन भूमि अतिक्रमण लगभग 03 डी0
2. जुर्मना+हर्जाना की राशि———————————————— 10,000.00 रु0

कुल–10,000.00 रु0
(दस हजार रूपये मात्र)।

अनुलग्नक–

1. OR-No-01871 दिनांक 18-12-2022 की छायाप्रति।
2. मुकदमा न्यायलय दक्षिणी वन प्रमण्डल चतरा को भेजे गए पत्र की छायाप्रति।
3. घटनास्थल का फोटो की छायाप्रति।
4. घटनास्थल का नक्शा का छायाप्रति।

आपका विश्वासी
प्रमोद कुमार
21.12.22
वन परिसर पदाधिकारी
...... परिसर

8.12.2022

ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, GOVERNMENT OF JHARKHAND
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड

No. CS 01871

Chatra, South Forest Division.
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल

NOTE - This report is to be Smimited within 24 hours of the detection.
नोट :- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घन्टे के अन्दर दाखिल करना चाहिये।

Offence Report No.................... Date.......................................
नम्बर 01871 तारीख 18/12/2022

Place of occurrence -
घटना स्थल - डाड़हा वन (भाना - चतरा)

Date and hour of detection -
पकड़ने का समय और तारीख - समय करीब 02:00 बजे दिन, 18/12/2022

Name(s) parentage and residence of ofienders -
नाम अपराधी और उसके पिता का नाम एवं पता -
(1) सुनिल कुमार, प्रबंधक (त०) संचरण अवर प्रमण्डल, झारखण्ड उर्जा संचरण लि० लि० चतरा।
(2) मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मनेजर, एसोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्र० लि० पहली मंजील, आनन्द विहार, हज हॉउस के पीछे, कडरू, राँची, झारखण्ड, पिन - 834002.

Property seized, if any -
जप्ती माल, अगर कोई - ×

5. Custody of seized property -
जप्ती माल का जिम्मेवार- ×

6. Name(s), parentage and residence of witness(es), if any -
नाम गवाह और उसके पिता का नाम एवं पता -
(1) श्री रोहित प्रसाद यादव, वनरक्षी, चतरा वन प्रक्षेत्र।
(2) श्री निशांत कुमार, " " " ।
(3) श्री गोपाल गंझु, " " " ।

7. Nature of Offence and facts of the case -

सेवा में,

वन परिसर पदाधिकारी,
चतरा वन परिसर।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि मैं अपने सहयोगी साथियों के साथ अमीन द्वारा डाड़हा वन का सर्वे एंव मापी किया। सर्वे एंव मापी के क्रम में पता चला कि 132 KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन के एक टॉवर का निर्माण वनभूमि में किया गया है। पूछ-ताछ करने पर पता चला कि यह अवैध टॉवर का निर्माण उल्टे खण्ड पर नामदर्ज अभियुक्तों के द्वारा किया गया। तत्पश्चात घटनास्थल का फोटो लिया। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इसे जाँच कर उचित कानूनी कारवाई करने की कृपा की जाय।

प्राप्ति:- वन भूमि अतिक्रमण
करीब - तीन (03) डी०

आपका विश्वासी
अनुज कुमार, व०र०
18/12/2022
डाड़हा उपखण्ड

कार्यालय– वन परिसर पदाधिकारी, चतरा वन परिसर

पत्रांक–   दिनांक–

सेवा में,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
व्यवहार न्यायालय, चतरा।

Complaint Case – 1300/2022

विषयः–   अपराध प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि अनुज कुमार वनरक्षी, ने साथी वनरक्षियों के साथ अमीन द्वारा डाडहा वन का सर्वे एवं मापी किया। सर्वे एवं मापी के कम में पता चला कि 132 KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रॉसमिशन लाईन के एक टॉवर का निर्माण वनभूमि में किया गया है। पुछ–ताछ करने पर पता चला कि यह अवैध टॉवर का निर्माण 1. सुनिल कुमार, प्रबंधक (त0), संचरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड उर्जा संचरण नि0 लि0, चतरा 2. मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मनेजर, एसोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्र0 लि0, पहली मंजील, आनन्द विहार, हज हॉउस के पीछे, कडरू, राँची, झारखण्ड, पिन–834002 के द्वारा किया गया है। तत्पश्चात वनरक्षी ने घटना स्थल का फोटो लिया एवं अभियुक्तों के विरूद्ध जुर्म प्रतिवेदन संख्या–01871 दिनांक–18.12.2022 को निर्गत कर समर्पित किया। अभियुक्तों ने भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989–90) की धारा 33 के तहत जूर्म किया है, जो दण्डणीय एवं संज्ञेय अपराध है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस मुकदमे को स्वीकार करते हुए उचित कानुनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय। पूर्ण अभियोजन प्रतिवेदन जाँचोंपरान्त उचित माध्यम द्वारा शीघ्र ही समर्पित किया जाएगा।

अनुलग्नकः–
1.वनरक्षी का जूर्म प्रतिवेदन संख्या–01871 दिनांक–18.12.2022 की मूल प्रति।
2..घटना स्थल का फोटो।

आपका विश्वासी

ह0/–
वन परिसर पदाधिकारी,
चतरा वन परिसर।

कार्यालयः— वन परिसर पदाधिकरी, चतरा वन परिसर।

ज्ञापांक— 466 दिनांक— 19.12.2022

प्रतिलिपिः— वन क्षेत्र पदाधिकारी, चतरा वन प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू समर्पित।

प्रशान्त कुमार
19.12.2022
वन परिसर पदाधिकारी,
वन परिसर पदाधिकारी
चतरा वन परिसर।

OR. No.- 01871, dt.- 18/12/2022

डाड़हा वन

मशहूर नाम - डाडहा
थाना नं० - 157
थाना + जिला - चतरा
अतिक्रमण प्लॉट सं० - 708
अतिक्रमित रकबा - [redacted] 3 डी० (तीन डी०)
पैमाना 16" = 1 मील

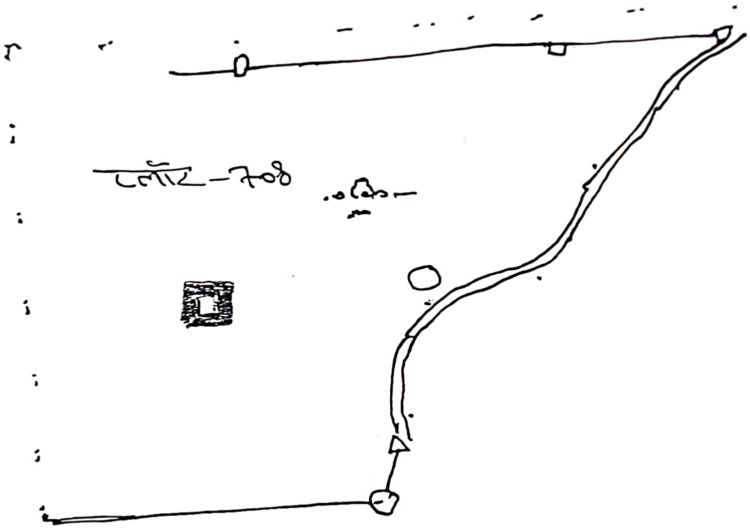

संकेत :

════ - सड़क

□ - अतिक्रमण क्षेत्र

प्रभात कुमार

महाशय,

उपरोक्त वाद से संबंधित घटना की जांच वनपाल चतरा के द्वारा करके अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। वनपाल की जांच एवं घटना को सत्य पाया।

अतः अनुरोध है कि इस केस को न्याय हेतु न्यायालय में भेजने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

13.03.2023

वन क्षेत्र पदाधिकारी
चतरा वन क्षेत्र

वन विभाग, झारखण्ड

चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

809
21/03/2023

अपराध रिपोर्ट सं0 .... 209 P ....

ता0 .... 30.01.2023 ....

.... चतरा .... राजस्व केन्द्र

रेंज।

ज्ञाप सं0 .... 176 ....

ता0........ 15.03.2023 ....

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल

को जप्ती रिपोर्ट की एक प्रति और आदेशिका जारी करने के लिए एक आवेदन के साथ अग्रसारित।

15.03.2023
.... प्रभारी पदाधिकारी
वन क्षेत्र पदाधिकारी
.... **चतरा वन क्षेत्र** .... राजस्व केन्द्र।

Prosecution Sanctioned against the accused No.
1 to 4,

Divisional Forest Officer
Chatra Sourth Forest Division

ज्ञाप सं0 .... 1498 ....

ता0 .... 05/07/2023 ....

.... मुख्य न्यायिक .... मजिस्ट्रेट .... चतरा .... को

आदेशिका तामिल करने के लिए आवेदन और निम्नलिखित दस्तावेजों भेजी जाती है।

(1) जप्ती प्रतिवेदन (2) घटनास्थल का नक्शा। (3) फोटो (4) अग्रसारण प्रतिवेदन।

.... प्रभारी पदाधिकारी
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल
.... राजस्व केन्द्र।

3/7/23

C.C.N. 608/2024 @ F.P.O.N. 80/24-25 C.C.N. 608/2024

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड

25/09/2024

चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

अपराध रिपोर्ट सं0 73P ता0 25/09/2024 ।

प्रक्षेत्र का नाम –चतरा वन प्रक्षेत्र | राजस्व केन्द्र

रेंज

अपराध का स्वरूप

अवैध अतिक्रमण

पता चलने का तारीख और समय – दिनांक 14.05.2024 करीब 08:00 बजे सुबह
घटनास्थल –डाढ़ा वन (थाना–चतरा)
किसने पता लगाया –श्री अनुज कुमार, वनरक्षी

वन अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता की धारा का निर्देश
यह प्रमण्डल वन कार्यालय द्वारा भरा जाएगा।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम 1989–90) की धारा 33

अभियुक्तों का नाम।

क्र0सं0	नाम	पिता/पति का नाम	निवास स्थान		
			गाँव	थाना	जिला
1	सुनिता देवी	पलु उरांव	डाढ़ा	चतरा	चतरा
2	सुनिल कुमार	पद नाम–प्रबंधक (त0)	संचरण अवर प्रमंडल, झारखंड उर्जा संचरण नि0 लि0, चतरा।		
3	मनोज कुमार झा,	पद नाम– प्रोजेक्ट मनेजर,	एसोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्र0 लि0, पहली मंजील, आनन्द विहार, हज हॉउस के पीछे, कडरू, राँची , झारखण्ड, पिन–834002		

साक्षियों का नाम।

क्र0सं0	नाम
1	श्रीमति सुनिता तिग्गा, वनरक्षी, चतरा वन प्रक्षेत्र
2	श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, वनरक्षी चतरा वन प्रक्षेत्र
3	श्री रोहित प्रसाद यादव, प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी, चतरा परिसर

विस्तार पूर्वक सभी तथ्यों की पूरी रिपोर्ट

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

द्वारा :– उचित माध्यम

विषय :– वनरक्षी द्वारा निर्गत जूर्म प्रतिवेदन संख्या 02169 दिनांक 14.05.2024 का जाँच सह अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि दिनांक–14.05.2024 करीब 04:00 बजे शाम श्री अनुज कुमार, वनरक्षी अपने साथी वनरक्षी के साथ अमीन द्वारा डाड़हा वन का सर्वे एवं मापी किया। सर्वे एव मापी के क्रम में पता चला कि 132 KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रॉसमिशन लाईन के एक टॉवर का निर्माण वनभूमि में किया गया है। पुछ–ताछ करने पर पता चला कि यह अवैध टॉवर का निर्माण पूर्व में ही 1. सुनिता देवी, पति–पलु उरांव, ग्राम डाढ़ा, पंचायत– डाडहा, थाना–चतरा, जिला–चतरा, 2. सुनिल कुमार , प्रबंधक त0 संचरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड उर्जा संचरण नि0 लि0 चतरा 3. मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मनेजर, एसोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्र0 लि0, पहली मजील, आनन्द बिहार, हज हॉउस के पीछे, कडरू, राँची, झारखण्ड, पिन–834002 के द्वारा किया गया है। तत्पश्चात वनरक्षी ने घटनास्थल का मुआयना किया एवं अभियुक्तों के विरूद्ध जूर्म प्रतिवेदन संख्या–02169 दिनांक–14.05.2024 निर्गत कर समर्पित किया। जिसे इस कार्यालय के पत्रांक–55 दिनांक–14.05.2024 के माध्यम से माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है जिसका कम्पलेन केस न0 608/2024 है।

उक्त घटना की जॉच मैंने संबंधित वनरक्षी के साथ दिनांक 16.05.2024 को घटनास्थल पर जाकर किया। वनरक्षी का रिपोर्ट सत्य पाया। यह भी पाया कि यह टावर निर्माण कार्य 132 KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रॉसमिशन लाईन योजना के तहत अभियुक्त संख्या–02 सुनिल कुमार , प्रबंधक त0 संचरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड उर्जा संचरण नि0 लि0 चतरा तथा अभियुक्त संख्या–03 मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मनेजर, एसोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्र0 लि0, पहली मंजिल, आनन्द बिहार, हज हॉउस के पीछे, कडरू, राँची, झारखण्ड, पिन–834002 के द्वारा बिना अनापति प्रमाण पत्र के किया गया है। मैंने वनरक्षी के माध्यम से अभियुक्तों को बुलवाया तो अभियुक्त संख्या–01 सुनिता देवी, पति–पलू उरावं ग्राम+पंचायत–डाढ़ा जिला–चतरा, घटनास्थल पर उपस्थित हुई। पुछ–ताछ में अभियुक्त ने बताया कि उन्हें (अभियुक्त संख्या–01 को) कल्याण विभाग, चतरा के द्वारा डाढ़ा वन में 2.60 ए0 वन भूमि पर वन पट्टा दिया गया है तथा इसी आवंटित पट्टे की वन भूमि पर उक्त टावर का निर्माण किया गया है। चूँकि पट्टा देने का मूल उद्देश्य यह है कि लाभुक अपने जिविकोपार्जन हेतु उक्त भूमि पर जोत–कोड़, खेती–बारी कर सके किंतु अभियुक्त ने प्राप्त अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए इस केस में अभियुक्त संख्या–02 और 03 से अनुचित लाभ प्राप्त कर डाढ़ा वन के प्लाट संख्या– 704 में अवैध रूप से टावर का निर्माण किया है। तत्पश्चात मैंने मानचित्र के सहारे सर्वे कर घटनास्थल (डाड़हा सुरक्षित वन) का नक्शा घटनास्थल पर ही तैयार किया तो पाया कि अभियुक्तों ने यह अवैध अतिक्रमण डाड़हा वन के प्लॉट नं0–704 में किया है। यह प्लॉट बिहार सरकार द्वारा पूर्व में ही अधिसूचित किया जा चुका है जिसकी अधिसूचना सं0 C.P.F. 10171/52-30-R-dt-02-01-53 है। जाँच के क्रम में पाया कि अभियुक्तों ने 02 ड़ी0 वन भूमि का अतिक्रमण टावर निर्माण के लिए किया है। अभियुक्तों ने वन भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से अतिक्रमण किया है। जिसके लिये अभियुक्तगण दोषी एवं दण्डनीय हैं।

अभियुक्तों ने भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम 1989–90) की धारा 33 के तहत दण्डनीय एवं संज्ञेय अपराध किया है।

अतः अनुरोध है कि अपराध प्रतिवेदन की घटना को सत्य पाकर अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है, साथ ही इस मुकदमे को उचित न्याय हेतु न्यायालय में भेजने की कृपा की जाय।

<u>क्षति विवरणः–</u>

1. 02 डीसमील़ वन भूमि, अतिक्रमण – 80,000.00 रु0
2. पर्यावरणीय क्षति की राशि – 1,00,000.00 रु0

कुल–'1,80,000.00 रु0
(एक लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)

अनुलग्नक–

1. OR-No-02169 दिनांक 14.05.2024 की छायाप्रति।
2. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चतरा को भेजे गए पत्र की छायाप्रति।
3. घटनास्थल का नक्शा की छायाप्रति।
4. अभियुक्त संख्या–01(सुनिता देवी) को मिले वन पट्टे की छाया प्रति।

आपका विश्वासी

Rohit prasad yadav 25-07-2024

प्रभारी वनपाल पदाधिकारी,
चतरा वन परिसर।

कार्यालय– वन परिसर पदाधिकारी, चतरा वन परिसर

पत्रांक– 55 दिनांक– 14/05/2024

सेवा में,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
व्यवहार न्यायालय, चतरा।

विषयः– अपराध प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि अनुज कुमार वनरक्षी, ने साथी वनरक्षियों के साथ अमीन द्वारा डाडहा वन का सर्वे एवं मापी किया। सर्वे एवं मापी के कम में पता चला कि 132 KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रॉसमिशन लाईन के एक टॉवर का निर्माण वनभूमि में किया गया है। पुछ–ताछ करने पर पता चला कि यह अवैध टॉवर का निर्माण पूर्व में ही 1.सुनिता देवी, पति–पलु उरांव, ग्राम–डाढ़ा, पंचायत–डाढ़ा, थाना–चतरा, जिला–चतरा 2. सुनिल कुमार, प्रबंधक (त0), संचरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड उर्जा संचरण नि0 लि0, चतरा 3. मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मनेजर, एसोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्र0 लि0, पहली मंजील, आनन्द विहार, हज हॉउस के पीछे, कडरू, राँची, झारखण्ड, पिन–834002 के द्वारा किया गया है। तत्पश्चात वनरक्षी ने घटना स्थल का मुआयना किया एवं अभियुक्तों के विरूद्ध जुर्म प्रतिवेदन संख्या–02169 दिनांक–14.05.2024 को निर्गत कर समर्पित किया। अभियुक्तों ने भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989–90) की धारा 33 के तहत जुर्म किया है, जो दण्डणीय एवं संज्ञेय अपराध है।

C.C.No. 608/2024

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस मुकदमे को स्वीकार करते हुए उचित कानुनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय। पूर्ण अभियोजन प्रतिवेदन जाँचोंपरान्त उचित माध्यम द्वारा शीघ्र ही समर्पित किया जाएगा।

अभियुक्तों का नाम एवं पताः–

1 सुनिता देवी, पति–पलु उरांव, ग्राम–डाढ़ा, पंचायत–डाढ़ा, थाना–चतरा, जिला–चतरा
2. सुनिल कुमार, प्रबंधक (त0), संचरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड उर्जा संचरण नि0 लि0, चतरा
3. मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मनेजर, एसोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्र0 लि0, पहली मंजील, आनन्द विहार, हज हॉउस के पीछे, कडरू, राँची, झारखण्ड, पिन–834002

RC
14.5.24

अनुलग्नकः–

1.वनरक्षी का जूर्म प्रतिवेदन संख्या–02169 दिनांक–14.05.2024 की मूल प्रति।

आपका विश्वासी

ह0/–
वन परिसर पदाधिकारी,
चतरा वन परिसर।

कार्यालयः— वन परिसर पदाधिकरी, चतरा वन परिसर।

ज्ञापांक— 55 दिनांक— 14/05/2024

प्रतिलिपिः— वन क्षेत्र पदाधिकारी, चतरा वन प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

Rohit prasad yadav 14/05

वन परिसर पदाधिकारी,
चतरा वन परिसर।

Schedule XVIII. -Form No. 21A.

FOREST, ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, GOVERNMENT OF JHARKHAND

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड

No. CS 02169

Chatra, South Forest Division.

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल

NOTE - This report is to be Smimited within 24 hours of the detection.
नोट :- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घन्टे के अन्दर दाखिल करना चाहिये।

Offence Report No.................... Date..

जुर्म नम्बर 02169 तारीख 14/05/2024

1. Place of occurrence - घटना स्थल - डाड़हा वन (थाना - चतरा)

2. Date and hour of detection - पकड़ने का समय और तारीख - करीब सुबह 8:00 बजे दिन 14/05/2024

3. Name(s) parentage and residence of ofienders - नाम अपराधी और उसके पिता का नाम एवं पता -
   (1) सुनिता देवी, पति - पलु उरांव, ग्राम - डाड़हा, थाना व जिला - चतरा।
   (2) सुनिल कुमार, प्रबंधक (त०), संचरण अंचल प्रमंडल, झारखण्ड ऊर्जा संचरण नि० लि०, चतरा
   (3) मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मैनेजर, एसोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्र० लि०, पहली मंजिल आनन्द विहार, हज हाउस के पीछे, कडरू, रांची झारखण्ड, पिन - 834002.

4. Property seized, if any - जप्ती माल, अगर कोई - X

5. Custody of seized property - जप्ती माल का जिम्मेवार- X

6. Name(s), parentage and residence of witness(es), if any - नाम गवाह और उसके पिता का नाम एवं पता -
   (1) श्रीमती सुनिता मिश्रा, वनरक्षी चतरा दक्षि०
   (2) श्री [illegible] कु० मिश्रा, " " "

7. Nature of Offence and facts of the case - तफसील और बयान जूर्म - अवैध अतिक्रमण।

P. T. O.

सेवा में,

वन परिसर पदाधिकारी,
चतरा वन परिसर।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि मैं अपने सहयोगी वनरक्षी के साथ अमीनद्वारा डाड़ा वन का सर्वे एवं मापी किया। मापी के क्रम पता चला कि 132 KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन के 23 टॉवर का निर्माण वनभूमि मे किया गया है। पुछ-ताछ करने पर पता चला कि अवैध टॉवर का निर्माण पूर्व मे ही (1) सुनिता देवी, पति - पालु उराँव, ग्राम - डाड़ा, थाना+जिला - चतरा (2) सुनिल कुमार, प्रबंधक (त०), संचरण अवर प्रमण्डल, झारखण्ड उर्जा संचरण नि० लि० चतरा (3) मनोज कुमार झा प्रोजेक्ट मैनेजर, एसोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्र० लि०, पहली मंजील, आनन्द विहार, हज हॉउस के पीछे, कडरू, राँची, झारखण्ड, पिन - 834002 के द्वारा किया गया है। तत्पश्चात हमलोगो ने घटनास्थल का मुआयना किया।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इसे जाँच कर उचित कानुनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संलग्न :-

(1) वन भूमि अतिक्रमण - करीब दो (02) डीसमिल।

आपका विश्वासी
अनुज कुमार, व०र०
14/08/...

मशहूर नाम - डाढ़हा

थाना नं० - 157

थाना - चतरा

अतिक्रमित क्षेत्र -

प्लाट नं० -

पैमाना - 16" = 1 मील

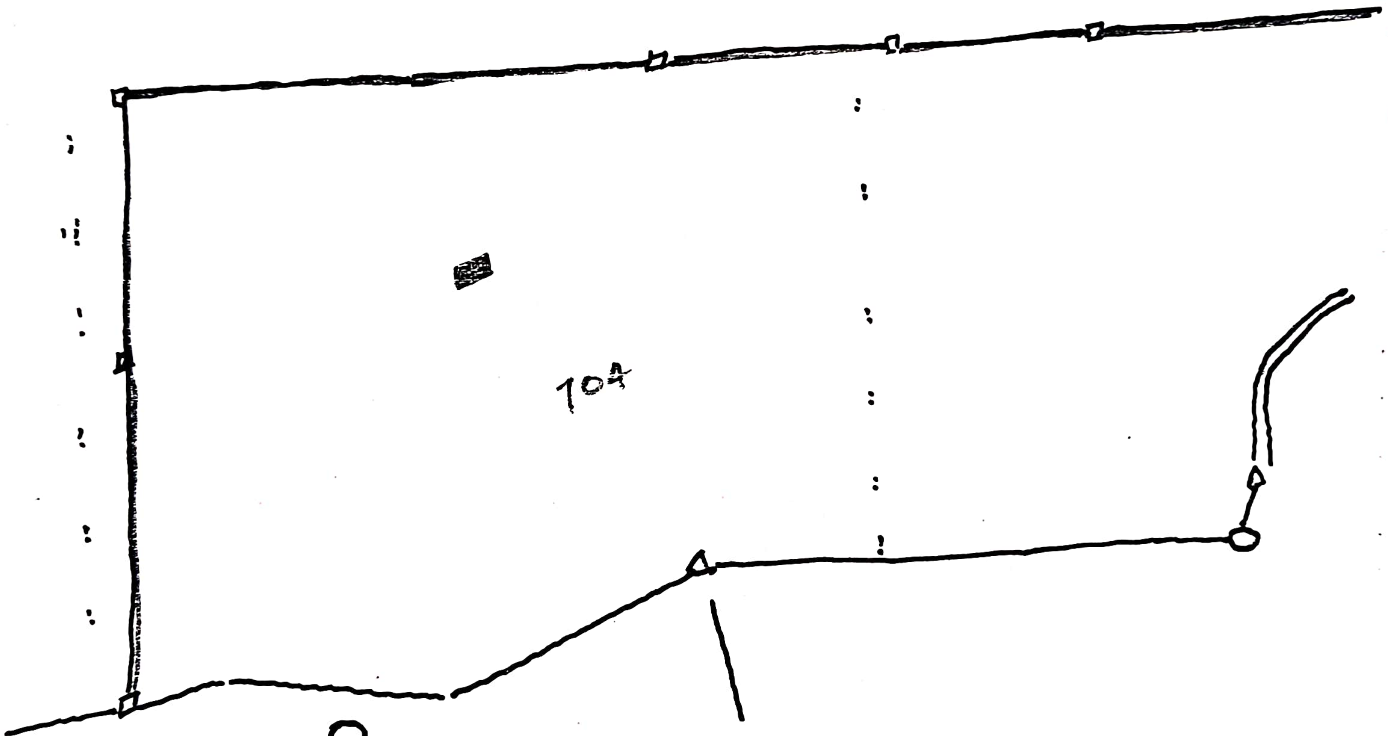

OR. No —

~~Date~~

अनुज कुमार
(व.र)

प्र० वनपाल
चतरा

(23)

(22)

उपाबंध–2

भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008

का नियम 8 (ज) देखें

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1. वन अधिकारों के धारक(कों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित) श्रीमती सुमिता देवी
पति :- बालु उरांव

2. पिता माता का नाम : लेचकु उरांव

3. आश्रितों का नाम : पद्दु उरांव, अभिषेक कच्छप, सुषमा कच्छप, सुराजु कच्छप, श्रीमती कच्छप, रेशमा कच्छप।

4. पता : ग्रा० डाढ़ा, पंचायत - पकरिया
पो० - चतरा, जिला - चतरा।

5. ग्राम : डाढ़ा

6. पंचायत : पकरिया

7. प्रखण्ड/अंचल : चातरा

Scanned with OKEN Scanner

8. लिंग : स्त्री

9. अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी : हाँ

10. क्षेत्र फल : खाता नं० 66, प्लॉट नं० 608/2, रकबा 2.60 एकड़

11. खेसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमा चिह्न द्वारा सीमाओं का विवरण

उ० - शुकर भुईयां, पू० - तेतरी देवी

द० - रास्ता, प० - सरिता देवी

यह हक देय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :–
हम, अधोहस्ताक्षरी झारखण्ड सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं ।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी/उप वन संरक्षक

जिला कल्याण पदाधिकारी

जिला कल्याण पदाधिकारी,
चतरा

19.4.15

समाहर्त्ता / उपायुक्त

Scanned with OKEN Scanner

मौजा नाम गजा चादर नं० ५

थाना नं. १५८

थाना चतरा

प्रखंड अहुरी

जिला चतरा

पैमाना 16":1 मील

नाम रैयत सुनीता देवी पत्नी पप्पू उरांव

खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा
६२	1054/2	2.60 एकड़

चौहद्दी :-

उ. कुन्दर भुईयां

द. रास्ता

पु. तेतरी देवी

प. सरिता देवी

प्रस्तावित [illegible] दिखाया गया है

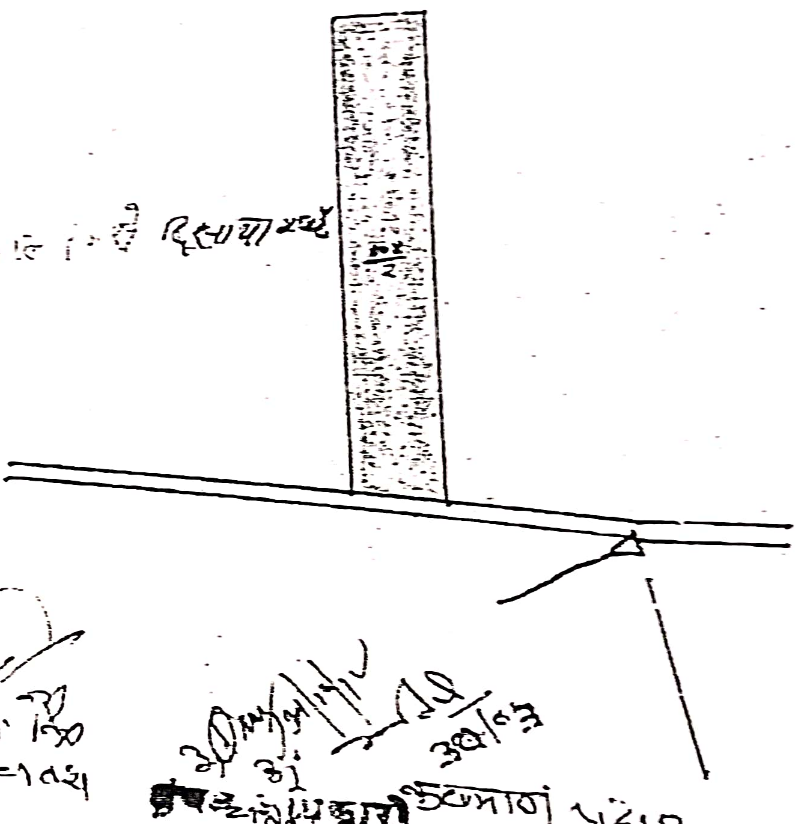

Range Forest Officer
Chatra Range

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

महाशय,

उपरोक्त वाद से संबंधित घटना की जॉच प्रभारी वनपाल के द्वारा करके अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्रभारी वनपाल का अभियोजन प्रतिवेदन सत्य पाया गया।

अतः अनुरोध है कि इस केस को उचित न्याय हेतु न्यायालय में भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
26/09/2024
वन क्षेत्र पदाधिकारी
चतरा वन प्रक्षेत्र।

अनुसूची 18 फार्म सं0 21

वन, विभाग झारखण्ड

चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा

अपराध रिपोर्ट सं0........... 73P
ता0........................25/09/2024

चतरा प्रक्षेत्र.......राजस्व केन्द्र रेंज।

ज्ञापांक सं0 870

ता0 27/09/2024

वन प्रमण्डल पदाधिकारी चतरा दक्षिणी प्रमण्डल

का जप्ती रिपोर्ट का एक प्रति और आदेशिका जारी करने के लिए एक आवेदन के साथ अग्रसारित।

27/09/2024

Prosecution Sanctioned against the accused No. 01,02,03 से 04

Divisional Forest Officer
CHATRA SOUTH DIVISION

.........वन क्षेत्र पदाधिकारी.........प्रभारी पदाधिकारी
चतरा प्रक्षेत्र
....राजस्व केन्द्र रेंज ।

ज्ञापांक सं0 2196

ता0 29/10/2024

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतरा

आदेशिका तामील करने के लिए आवेदन और निम्नलिखित दस्तावेजें भेजी जाती है।
① अपराध प्रतिवेदन ② घटनास्थल का नक्शा चित्र ③ अभियुक्तों की वन्य प्रति ④ वन पदा की धाराएं प्रति ⑤ अन्य आवश्यक प्रतिवेदन।

29/10/24 ....प्रभारी पदाधिकारी
वन प्रमण्डल पदाधिकारी..........राजस्व केन्द्र।
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल

29/10/24

8130-02

SITE INSPECTION REPORT

(IN THE PROPOSAL OF HUNTERGANJ TO CHATRA 132 K.V. D/C TRANSMISSION LINE)

Site has been inspected on **05.04.2021**

A. Referred points are detailed as below -

7. (xi) Whether any rate/endangered/unique species of flora and fauna found in the area-if so details thereof- **No**

(xii) Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.- **No**

8. Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 of Part-I is unavoidable and barest minimum for the project. If no, recommended area item-wise with details of alternatives examined. **– Yes.**

9. Whether any work in violation of the Act has been carried out (Yes/No).- **No,**

If yes, details of the same including period of work done, action taken on erring officials. **– No**

Whether work in violation is still in progress. **– No**

B. Density of vegetation.- **D= 0.6**

05.6.2021

S.P. SUMAN
D.F.O.